राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9521/2013

श्रीमती आशा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी बस स्टैंड के पास, मदनगंज- किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अजमेर स्थित राजस्थान राजस्व बोर्ड-रजिस्ट्रार के माध्यम से।

2. रत्ना @ रतन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू मीना, निवासी फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर

3. रामगोपाल पुत्र भागीरथ निवासी सब्जी मंडी, मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

4. गणपत (अब मृतक)-कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से

4/1. इंद्र मोहन पुत्र श्री गणपत, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

4/2. मुरली मनोहर पुत्र श्री गणपत, निवासी मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

5. सत्यनारायण (अब मृतक)-कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से:-

5/1. हरिओम पुत्र सत्य नारायण उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी रविंद्र थियेटर के पास ओसवाल मोहला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

5/2. राधा किशन पुत्र सत्य नारायण उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास, कृष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

5/3. विष्णु पुत्र सत्य नारायण उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

6. हनुमान पुत्र भागीरथ निवासी सब्जी मंडी, मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

7. जगदीश (अब मृतक)-कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से

7/1. नंद किशोर पुत्र जगदीश उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी रविंद्र थियेटर के पास, ओसवाल मोहला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

7/2. गिर्राज पुत्र जगदीश उम्र करीब 41 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास, कृषाणपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

8. श्याम सुंदर शर्मा,

9. सुरेश शर्मा,

नित्यानंद शर्मा के दोनों पुत्र निवासी मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

10. राजस्थान सरकार-तहसीलदार, किशनगढ़ के माध्यम से।

11. किस्तुरी देवी, धन्ना लाल की विधवा।

12. सुनील कुमार पुत्र धन्ना लाल।

13. विनोद पुत्र धन्ना लाल।

सभी निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

14. अपर संभागीय आयुक्त, अजमेर।

15.	जिला कलेक्टर, अजमेर

----प्रत्यर्थीगण

<u>निम्नलिखित से संबद्ध</u>

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11851/2013

श्रीमती आशा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी बस स्टैंड के पास, मदनगंज-किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1.	अजमेर स्थित राजस्थान राजस्व बोर्ड, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।

2.	रत्ना @ रतन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू मीना, निवासी फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर

3.	रामगोपाल पुत्र भागीरथ निवासी सब्जी मंडी, मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

4.	गणपत (अब मृतक)-कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से

4/1. इंद्र मोहन पुत्र श्री गणपत, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

4/2. मुरली मनोहर पुत्र श्री गणपत, निवासी मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

5.	सत्यनारायण (अब मृतक)-कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से:-

5/1. हरिओम पुत्र सत्य नारायण उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी रविंद्र थियेटर के पास ओसवाल मोहला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

5/2. राधा किशन पुत्र सत्य नारायण उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास, कृष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

5/3. विष्णु पुत्र सत्य नारायण उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

6.	हनुमान पुत्र भागीरथ निवासी सब्जी मंडी, मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

7.	जगदीश (अब मृतक)-कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से:-

7/1. नंद किशोर पुत्र जगदीश उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी रविंद्र थियेटर के पास, ओसवाल मोहला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

7/2. गिर्राज पुत्र जगदीश उम्र करीब 41 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास, कृषाणपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

8.	श्याम सुंदर शर्मा,

9.	सुरेश शर्मा,

नित्यानंद शर्मा के दोनों पुत्र निवासी मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

10.	राजस्थान सरकार-तहसीलदार, किशनगढ़ के माध्यम से।

11.	किस्तुरी देवी, धन्ना लाल की विधवा।

12.	सुनील कुमार पुत्र धन्ना लाल।

13. विनोद पुत्र धन्ना लाल।

सभी निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

14. अपर संभागीय आयुक्त, अजमेर।

15. जिला कलेक्टर, अजमेर

----प्रत्यर्थी

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 11852/2013

श्रीमती आशा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी बस स्टैंड के पास, मदनगंज- किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अजमेर स्थित राजस्थान राजस्व बोर्ड, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।

2. रत्ना @ रतन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू मीना, निवासी फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर

3. रामगोपाल पुत्र भागीरथ निवासी सब्जी मंडी, मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

4. गणपत (अब मृतक)-कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से

4/1. इंद्र मोहन पुत्र श्री गणपत, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

4/2. मुरली मनोहर पुत्र श्री गणपत, निवासी मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

5. सत्यनारायण (अब मृतक)-कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से:-

5/1. हरिओम पुत्र सत्य नारायण उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी रविंद्र थियेटर के पास ओसवाल मोहला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

5/2. राधा किशन पुत्र सत्य नारायण उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास, कृष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

5/3. विष्णु पुत्र सत्य नारायण उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

6. हनुमान पुत्र भागीरथ निवासी सब्जी मंडी, मस्जिद के सामने, मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

7. जगदीश (अब मृतक)-कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से:-

7/1. नंद किशोर पुत्र जगदीश उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी रविंद्र थियेटर के पास, ओसवाल मोहला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

7/2. गिर्राज पुत्र जगदीश उम्र करीब 41 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास, कृषाणपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

8. श्याम सुंदर शर्मा,

9. सुरेश शर्मा,

नित्यानंद शर्मा के दोनों पुत्र निवासी मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

10. राजस्थान सरकार-तहसीलदार, किशनगढ़ के माध्यम से।

11. किस्तुरी देवी, धन्ना लाल की विधवा।

12. सुनील कुमार पुत्र धन्ना लाल।

13. विनोद पुत्र धन्ना लाल।

सभी निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

14. अपर संभागीय आयुक्त, अजमेर।

15. जिला कलेक्टर, अजमेर

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री राजेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री करण टिबरेवाल, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई।
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री सुधीर गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीन दयाल शर्मा, अधिवक्ता सुश्री श्वेता चौहान, अधिवक्ता सुश्री सेजल हरनेजा, अपर सरकारी अधिवक्ता श्री अक्षय शर्मा, अधिवक्ता श्री विजय चौधरी, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई।

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार गौड़

आदेश

आदेश उच्चारित करने की तारीख : 14 मार्च, 2022

आदेश आरक्षित करने की तारीख : 11 अप्रैल, 2022

रिपोर्टेबल

न्यायालय द्वारा:

इन तीन रिट याचिकाओं पर इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने, याचिकाकर्ता द्वारा दायर तीन पुनरीक्षण याचिकाओं पर निर्णय लेते हुए राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 10.05.2013 के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने अजमेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के दिनांक 16.06.2005 के सामान्य निर्णय को भी चुनौती दी है, जिसमें तीन अपीलों को खारिज कर दिया गया था, जो जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 06.06.2003 को पारित एक सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई थीं, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 25.11.1967 के म्यूटेशन नंबर 325, 344 दिनांक 25.05.1968 और 338 दिनांक 29.11.1984 के खिलाफ दायर किया गया था।

2. रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा संक्षेप में दिए गए तथ्य यह हैं कि दीपा पुत्र मनफूल मीणा को खसरा नंबर 255/2 (पुराना नंबर 682) से संबंधित भूमि का खातेदार किरायेदार दर्ज किया गया था, जो गांव फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में 14 बीघा और 5 बिस्वा से संबंधित था। उक्त भूमि को दीपा के दोनों बेटों घासीराम और धन्ना ने दिनांक 06.02.1962 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से भागीरथ पुत्र रामप्रसाद महाजन को बेच दिया था और कब्जा भी उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया था।

3. संवत वर्ष 2020 में बसावट संचालन में पुराने खसरा नंबर से नया खसरा क्रमांक 255/2 बनाकर भूमि दीपा के दोनों पुत्रघासीराम और धन्ना के पक्ष में दर्ज की गई और इसके अतिरिक्त भूमि में अपना बराबर का हिस्सा दर्शाते हुए रत्न पुत्र नाथू का नाम भी दर्ज किया गया। अपीलार्थियों ने आरोप लगाया कि निपटान अधिकारियों को रत्ना पुत्र नाथू का नाम सम्मिलित करने का कोई अधिकार नहीं है, जो संवत वर्ष 2020 में जमाबंदी में प्रवेश से पहले कभी भी भूमि के सह-किरायेदार नहीं थे।

4. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि दिनांक 06.02.1962 के बिक्री विलेख के आधार पर, रत्ना द्वारा 25.10.1963 को एक लेखन निष्पादित किया गया था और उत्परिवर्तन की कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन दस्तावेज के पंजीकरण और निषिद्ध जाति के संबंध में आपत्ति पर, म्यूटेशन नंबर 209 को खारिज कर दिया गया था और जब मामले को आगे बढ़ाया गया, तो यह स्पष्ट किया गया कि अजमेर जिले में मीणा उस समय निषिद्ध जाति नहीं थी और दिनांक 23.11.1967 के आदेश द्वारा म्यूटेशन नंबर 325 को मंजूरी दी गई थी।

5. 12.06.1968 को भागीरथ ने पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से नित्यानंद पुत्र गंगादत्त को भूमि बेच दी और तहसीलदार द्वारा इस संबंध में दिनांक 12.06.1968 को नामांतरण संख्या 344 स्वीकृत किया गया। उक्त नित्यानंद ने दिनांक 06.07.1974 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से वर्तमान याचिकाकर्ता को भूमि बेची और याचिकाकर्ता को भूमि का कब्जा सौंप दिया।

6. उपरोक्त बिक्री विलेख के आधार पर, तहसीलदार ने याचिकाकर्ता के पक्ष में भूमि दर्ज करने के लिए दिनांक 16.07.1974 को आदेश पारित किया। 29.11.1984 को, याचिकाकर्ता के पक्ष में म्यूटेशन नंबर 338 को मंजूरी दी गई थी। याचिकाकर्ता ने दिनांक

06.07.1974 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से भूमि खरीदने के बाद उपरोक्त 14 बीघा और 5 बिस्वा भूमि में से 500 वर्ग मीटर भूमि को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया था और जिला कलेक्टर, अजमेर ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि के संपरिवर्तन के लिए दिनांक 04.01.1980 को आदेश पारित किया था।

7. प्रत्यर्थी संख्या 2-रत्न ने 11.12.1992 को तहसीलदार के समक्ष राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत तीन उत्परिवर्तनों के संबंध में संदर्भ देने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्हें अवैध होने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता को उक्त आवेदन का नोटिस मिला था और जवाब दायर किया गया था और इस तरह मामले को केवल इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि तहसीलदार द्वारा कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।

8. वर्ष 2001 में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष तीन अपीलें दायर कीं, जिनमें अपील संख्या 25/2001, 26/2001 और 27/2001 में म्यूटेशन संख्या 325, दिनांक 25.11.1967, 344 दिनांक 25.05.1968 और 338 दिनांक 29.11.1984 पर सवाल उठाया गया था। प्रत्यर्थी नंबर 2 ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें अपील दायर करने में देरी के लिए माफी मांगी गई। याचिकाकर्ता ने विलंब की माफी के लिए आवेदनों का जवाब दाखिल किया और जिला कलेक्टर ने दिनांक 06.06.2003 के आदेश के तहत देरी की माफी के लिए प्रत्यर्थी नंबर 2 के आवेदन को खारिज कर दिया और दिनांक 06.06.2003 के सामान्य आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी नंबर 2 की सभी अपीलें खारिज कर दी गईं। दिनांक 06-06-2003 के आदेश के प्रचालनात्मक भाग को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तीनों नामांतरकरणों के आदेशों की जानकारी पूर्व मे ही थी जो उनके द्वारा कलेक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही के दौरान आपत्ति प्रस्तुत करने तथा तहसीलदार, किशनगढ के समक्ष वर्ष 1922 मे तीनों नामांतरकरणों को रैफरेन्स करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपीय आदेशों के विरूद्ध 34 वर्ष, 33 वर्ष तथा लगभग 17 वर्ष

पश्चात अपीले प्रस्तुत की गई है उनके द्वारा इतने वर्ष पश्चात अपीत प्रस्तुत करने का कोई ठोस एवं सन्तोषप्रद कारण मियाद प्रार्थना पत्र मे नहीं दर्शाया गया है।

अतः प्रस्तुत अपीले इतने अन्तराल के पश्चात बिना किसी ठोस एवं सन्तोषप्रद कारणों के मियाद अधिनियम की धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है जो देरी के करणों को क्षमा करने हेतु पर्याप्त आधार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अतः अपील याचिकाकर्ता मियाद बाहर होने से निरस्त की जाती है।"

9. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने दिनांक 16.06.2005 के आदेश के तहत अपील की अनुमति दी और म्यूटेशन की वैधता की जांच करने के बाद मामले को जिला कलेक्टर द्वारा सुनवाई के लिए भेज दिया। दिनांक 16.06.2005 के आदेश के प्रचालनात्मक भाग को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर गौर किया गया। विद्वान याचिकाकर्ता का कथन है कि नामावली के संबंध में जो आदेश जारी किये गए हैं वो आदित: शून्य तथा आदित: शून्य आदेश के लिये कोई समय सीमा नही है। इस संबंध में उनके द्वारा बहस के दौरान नियम प्रस्तुत किए हैं। विद्वान याचिकाकर्ता ने जवाबी बहस में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपील के ज्ञापन के खिलाफ बहस की है तथा उस समय मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में दर्ज नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिंदु पर याचिकाकर्ता की अपील निरस्त की है जो उचित है।"

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तस्दीक किये गये नांमांतरकरण की वैधानिकता के संबंध में अपने आदेश मे कोई विवेचन नही किया है कि 'क्या तस्दीक किये गये नामांतरकरण के आदेश आदित: शून्य हैं अथवा नहीं'। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि अगर आदेश आदित: शून्य है तो मियाद का बिन्दु इसमें मायने नहीं रखता है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण के आदेश की वैधानिकता का विवेचन करना भी आवश्यक था। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित प्रतीत नही होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर, अजमेर) का निर्णय दिनांक 6.6.2003 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर, अजमेर) को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह मियाद के बिन्दु के साथ-साथ दिनांक 23.11.67, 12.6.68 व 29.11.84 की नामांतरकरण संख्या क्रमश: 325, 344 एवं 338 की वैधानिकता के संबंध में भी विवेचन करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करे।"

10. याचिकाकर्ता ने राजस्व बोर्ड के समक्ष तीन पुनरीक्षण याचिकाएं संख्या

3763/2005, 3764/2005 और 3765/2005 दायर करके दिनांक 16.06.2005 के आदेश को चुनौती दी। राजस्व बोर्ड ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 (इसके बाद इसे "1956 के अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर निर्णय लेते हुए विवाद पर विचार करने के बाद छह मुद्दों को महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा बताते हुए प्रस्तुत किया। राजस्व बोर्ड द्वारा तैयार किए गए छह मुद्दों को नीचे पुन: उद्धृत किया गया है:-

> "(1) जब ग्राम फरासिया के नामांतरण क्रमांक 209 को तहसीलदार ने गुण-दोष के आधार पर अस्वीकृत कर दिया तो नामांतरण संख्या 325 को स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि तहसीलदार उसी बिक्री विलेख के आधार पर नामांतरण संख्या 325 पर कार्रवाई करने के लिए पदकार्य-निवृत्त हो गए थे।
>
> (2) क्या 6-2-1962 की स्थिति के अनुसार मीना समुदाय अजमेर जिले में अनुसूचित जनजातियों की सूची में था और घासी द्वारा की गई बिक्री कानून के तहत निषिद्ध थी और आदित: ही अमान्य थी?
>
> (3) पहली बिक्री के समय अर्थात 6.2.1962 को, विवादित भूमि को तीन व्यक्तियों, अर्थात् दीपा के घासी और धन्ना पुत्रगण और नाथू मीना के रत्ना पुत्र की सह-किरायेदारी में दर्ज किया गया था, जबकि बिक्री विलेख केवल घासी द्वारा निष्पादित किया गया था। इसलिए, बिक्री शून्य थी।
>
> (4) क्या 6.2.1962 को पहली बिक्री के समय धन्ना नाबालिग था और घासी उसके अभिभावक के रूप में धन्ना का हिस्सा बेच सकता था?
>
> (5) क्या रत्न, पुत्र नाथू का नाम गलती से भूमि अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया था और भूमि अभिलेखों को सही किए बिना इस तरह की बिक्री को प्रभावी नहीं किया जा सकता था?
>
> (6) क्या इस न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत गांव फरासिया के म्यूटेशन नंबर 325, 344 और 338 की वैधता की जांच यह न्यायालय कर सकती है?"

11. तत्काल संदर्भ के लिए, राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 10.05.2013 को पारित आदेश के प्रचालनात्मक भाग को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "14. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह न्यायालय मानता है कि दोनों निचली अदालतों द्वारा पारित निर्णय गंभीर कानूनी और क्षेत्राधिकार त्रुटियों से ग्रस्त हैं। इसलिए, विद्वान कलेक्टर और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को रद्द किया जाता है और आपास्त किया जाता है। तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 325 को भी निरस्त किया जाता है। तहसीलदार को निर्देश दिया जाता है कि विवादित भूमि को उन व्यक्तियों के नाम पर बहाल किया

जाए जिनके नाम पहली बिक्री से पहले यानी 06.02.1962 को मौजूद थे। चूंकि पहली बिक्री शून्य थी और म्यूटेशन नंबर 325 को पहले ही रद्द कर दिया गया है। इसके बाद, नित्यानंद और याचिकाकर्ता को बिक्री को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नतीजतन, फरासिया गांव के 344 और 338 की संख्या वाले बाद के उत्परिवर्तन भी स्वचालित रूप से निरस्त हो जाते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिकाओं को तदनुसार निपटाया जाता है।"

12. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 17671/2012 दायर करने के तथ्य को भी रिकॉर्ड में लाया है, जिसका शीर्षक रत्न @ रतनलाल बनाम राजस्व बोर्ड अजमेर एवं अन्य है जिसके तहत राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 20.06.2012 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा राजस्व बोर्ड द्वारा किए गए संदर्भ को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि जिला अजमेर में जाति मीणा अनुसूचित जनजाति नहीं थी और राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का कोई उल्लंघन नहीं था (इसके बाद इसे "1955 का अधिनियम" कहा जाएगा)। उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2016 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

13. याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 11, 12 और 13 द्वारा रिट याचिका दायर करने के तथ्य को भी रिकॉर्ड में लाया गया है, जो एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 222/2013 है, जिसका शीर्षक विनोद कुमार एवं अन्य बनाम राजस्व बोर्ड एवं अन्य है जिसके तहत राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 20.06.2012 के इसी आदेश को चुनौती दी गई थी और उक्त रिट याचिका को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2015 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

14. खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 279/2016, जो इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 09.02.2015 के आदेश के खिलाफ वरीयता प्राप्त थी, को दिनांक 18.11.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

15. याचिकाकर्ता ने राजस्व बोर्ड के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिकाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए हैं:-

15क. राजस्व बोर्ड ने रिकॉर्ड के होते हुए भी स्पष्ट कानूनी त्रुटियों के कारण आक्षेपित आदेश पारित किया है और यह राजस्व बोर्ड में निहित

पुनरीक्षण शक्ति के घोर दुरुपयोग के समान है।

15ख. राजस्व बोर्ड ने यह आदेश पुनरीक्षण प्राधिकरण के रूप में नहीं बल्कि प्रथम न्यायालय के रूप में पारित किया है, जिसके पास घोषणा और कब्जे के लिए मुकदमा तय करने का अधिकार है।

15ग. राजस्व बोर्ड केवल यह देखने की इच्छा रखता था कि क्या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपीलों को नए सिरे से निर्णय के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को भेजते समय कोई क्षेत्राधिकार त्रुटि की थी और ऐसा करने के बजाय, राजस्व बोर्ड ने छह मुद्दे तैयार किए और उस मुद्दे पर निर्णय किया जो संशोधन याचिकाओं में कभी नहीं उठा।

15घ. राजस्व बोर्ड ने संवैधानिक अधिसूचना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को पूरी तरह से गलत पढ़ा है।

15ङ. राजस्व बोर्ड ने दिनांक 25091956 की अधिसूचना को गलत तरीके से उद्धृत करके गंभीर त्रुटि की है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 की पूरी तरह से अनदेखी की है। यह अनुरोध किया जाता है कि पूरे राजस्थान सरकार में 'मीणा' को केवल 1956 के अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है और इससे पहले जिला अजमेर में केवल 'भील मीणा' को शामिल किया गया था और 'मीणा' समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया था और संबंधित वर्ष में अर्थात वर्ष 1962 में जब संव्यवहार हुआ था, जिला अजमेर में 'मीणा' समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया था।

16. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दीं:-

16क. 1956 के अधिनियम की धारा 84 के तहत संशोधन की शक्ति एक पुनरीक्षण याचिका को मूल वाद कार्यवाही में परिवर्तित करने के लिए प्रदान नहीं की जाती है और संशोधन की शक्ति यह देखने के लिए सीमित है कि राजस्व न्यायालय या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ऐसी

शक्ति का ठीक से उपयोग किया गया है या नहीं।

16ख. प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दायर मुकदमे को परिसीमा द्वारा बाधित कर दिया गया था।

16ग. 1955 के अधिनियम की धारा 63 (1) (iv) के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 2 के किरायेदारी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 2 को सीमा द्वारा प्रतिबंधित कब्जे की वसूली का अधिकार नहीं था और कब्जे की वसूली का दावा केवल कब्जे की तारीख से 12 वर्षों के भीतर किया जा सकता है।

16घ. राज्य सरकार 1955 के अधिनियम की धारा 175 (4-क) के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का उपयोग करने में विफल रही, यदि अनुसूचित जातियों द्वारा भूमि हस्तांतरित करके गैर-अनुसूचित जाति के पक्ष में लेन-देन को 1955 के अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन माना जाता है।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

(i) **बाबू सिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, एआईआर 2002 (राजस्थान) 92** में प्रकाशित।

(ii) **देवी सिंह एवं अन्य बनाम राजस्व बोर्ड एवं अन्य (1994) 1 एससीसी 215** में प्रकाशित।

(iii) **नाथू राम (मृत) एलआरएस एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य। (2004) 13 एससीसी 585** में प्रकाशित।

(iv) **राम करण बनाम राजस्थान सरकार (2014) 8 एससीसी 282** में प्रकाशित।

18. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने शुरुआत में यह कहा कि जहां तक अनुसूचित जाति द्वारा कानून के तहत निषिद्ध बिक्री के संबंध में मुद्दा संख्या 2 पर राजस्व बोर्ड के निष्कर्ष का सवाल है, तो यह उनके द्वारा समर्थित नहीं है।

19. श्री सुधीर गुप्ता ने कहा कि राजस्व बोर्ड द्वारा तय किए गए अन्य मुद्दों को इस न्यायालय द्वारा किसी भी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है।

20. श्री सुधीर गुप्ता ने सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के

तहत इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में आपत्ति उठाई है क्योंकि राजस्व न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 375 की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत राजस्व बोर्ड के खिलाफ केवल रिट याचिका हो सकती है। अपनी दलील के समर्थन में श्री सुधीर गुप्ता ने **राधेश्याम एवं अन्य बनाम छबि नाथ एवं अन्य (2015) 5 एससीसी 423** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

21. श्री गुप्ता ने कहा कि इस न्यायालय के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बताए गए हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि स्वर्गीय दीपा के केवल दो बेटे अर्थात घासी और धन्ना थे, जबकि तथ्य यह है कि नाथू स्वर्गीय दीपा का तीसरा बेटा था और वर्तमान प्रत्यर्थी नंबर 2 रत्न @ रतन लाल नाथू का बेटा है।

22. श्री सुधीर गुप्ता ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 का जन्म 04.01.1954 को हुआ था और उनके पिता की मृत्यु अक्तूबर, 1954 में हुई थी। उन्होंने कहा कि संवत वर्ष 2020 यानी वर्ष 1963 में, प्रत्यर्थी संख्या 2 रत्न पुत्र नाथू, घासीराम और धन्ना दोनों बेटे दीपा को खसरा नंबर 207 के खातेदार के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें 28 बीघा जमीन बराबर थी। अधिवक्ता ने कहा कि बिक्री की तारीख यानी 06.02.1962 को, जब घासीराम पुत्र दीपा, धन्ना (नाबालिग) पुत्र दीपा और राम प्रसाद अग्रवाल के भागीरथ पुत्र राम प्रसाद अग्रवाल के बीच 14 बीघा और 15 बिस्वा की बिक्री के लिए विक्रय विलेख किया गया था, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 रत्ना 9 वर्ष की नाबालिग थी और लाडी देवी दीपा की पत्नी और घासीराम की मां थी। बिक्री-विलेख के निष्पादन के समय धन्ना और नाथू जीवित थे।

23. दिनांक 06.02.1962 के विक्रय-विलेख के बाद खातेदार का नाम बदलने के लिए किशनगढ़ के तहसीलदार के समक्ष दायर नामांतरण आवेदन को तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.12.1963 के आदेश के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि रत्न द्वारा दिनांक 25.10.1963 को की गई कथित बिक्री पंजीकृत नहीं थी और 1955 के अधिनियम की धारा 42 के तहत बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।

24. प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने कहा कि राजस्व बोर्ड ने 1955 के अधिनियम की धारा 42 के तहत बिक्री के मुद्दे को छोड़कर सभी मुद्दों पर सही निष्कर्ष दिए हैं और

इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

25. प्रत्यर्थी संख्या 2 के वकील ने कहा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 10, 11 और 23 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, नाबालिग द्वारा बिक्री बिल्कुल भी वैध नहीं थी और उक्त बिक्री के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में बनाए गए किसी भी अधिकार की कानून में कोई पवित्रता नहीं होगी।

26. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर गुप्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

(क) **महाराष्ट्र सरकार बनाम रतनलाल (1993) 3 एससीसी 326-पैरा नंबर 4 और 5** में प्रकाशित।

(ख) **कलेक्टर एवं अन्य बनाम वी.पी. मंगम्मा (2003) 4 एससीसी 488-पैरा नंबर 1, 5, 6 से 8** में प्रकाशित।

(ग) **उड़ीसा सरकार बनाम ब्रुंडबन शर्मा ने (1995)** में प्रकाशित।

(घ) **बलवंत एन. विश्वामित्र बनाम यादव सदाशिव मुले (2004) 8 एससीसी 706 -पैरा नंबर 9** में प्रकाशित।

(ङ.) **सरूप सिंह बनाम भारत संघ (2011) 11 एससीसी 198-पैरा नंबर 20, 23 और 24** में प्रकाशित।

(च) **चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका बनाम जसजीत सिंह (1993) 2 एससीसी 507-पैरा नंबर 18** में प्रकाशित।

(छ) **वरयाम सिंह बनाम अमरनाथ ने एआईआर 1954 एससी 215-पैरा नंबर 14** में प्रकाशित।

(ज) **ओसेफ मथाई बनाम एम. अब्दुल खादिर (2002) 1 एससीसी 319-पैरा नंबर 4 से 7** में प्रकाशित।

(झ) **साधना लोध बनाम नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. (2003) 3 एससीसी 524-पैरा नंबर 7** में प्रकाशित।

(ञ) **शालिनी श्याम शेट्टी बनाम राजेंद्र शंकर पाटिल (2010) 8 एससीसी 329 - पैरा नंबर 49** में प्रकाशित।

(ट) **मांगी लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य (1997) 2 आरएलआर 755** में प्रकाशित।

(ठ) **मेसर्स पुरी इन्वेस्टमेंट्स बनाम मेसर्स यंग फ्रेंड्स एंड कंपनी एंव अन्य** मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 23.02.2022 को पारित हालिया निर्णय। **[सिविल अपील संख्या 1609/2022]।**

27. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

28. यह न्यायालय पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर इस रिट याचिका की विचारणीयता के सवाल पर निर्णय करेगा, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि राजस्व बोर्ड के आदेश के खिलाफ वर्तमान रिट याचिका केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हो सकती है।

29. इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर की गई है जिसमें पुनरीक्षण याचिका में राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। राजस्व बोर्ड के आदेश को रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और यदि रिट याचिका की विषय वस्तु में भारत के संविधान के दोनों अनुच्छेदों यानी 226 और 227 का उल्लेख है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि रिट याचिका पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय को राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश की वैधता पर विचार करना होगा और न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ प्रमाण पत्र की रिट निहित है।

30. यह न्यायालय पाता है कि न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका राजस्व बोर्ड के आदेश के खिलाफ पीड़ित किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है, बल्कि रिट याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत भी प्राथमिकता दी जा सकती है।

31. प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति कि राधेश्याम (सुप्रा) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, के संबंध में इस न्यायालय द्वारा यह कहने के लिए पर्याप्त है कि उस मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका दायर करने के दायरे के संबंध में था। तदनुसार, यह न्यायालय रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 के वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करता है।

32. प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर, इस न्यायालय को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि

बेचने के 1955 के अधिनियम की धारा 42 के उल्लंघन के संबंध में इस मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

33. इस न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला मुख्य मुद्दा 1956 के अधिनियम की धारा 84 के तहत दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर निर्णय लेते समय राजस्व बोर्ड द्वारा प्रयोग की गई शक्ति के संबंध में है।

34. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने वर्ष 1967, 1968 और 1984 में किए गए म्यूटेशन पर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष तीन अपील दायर की थीं और परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन भी दायर किया था। जिला कलेक्टर ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन पर विचार करते हुए पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने गलत तरीके से यह दलील ली थी कि उसे 15.04.2001 को म्यूटेशन किए जाने के बारे में पता चला था, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने खुद 11.02.1992 को तहसीलदार के समक्ष 11.02.1992 को अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत संदर्भ आवेदन दायर किया था तथा किशनगढ़ और राजस्व रिकॉर्ड में सुधार की मांग की थी। जिला कलेक्टर ने पाया कि भूमि के रूपांतरण के लिए आवेदन भी उनके समक्ष दायर किया गया था और वहां भी प्रत्यर्थी नंबर 2 द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया था और 04.01.1980 के आदेश द्वारा भूमि को परिवर्तित कर दिया गया था। जिला कलेक्टर ने पाया कि प्रत्यर्थी नंबर 2 द्वारा दायर आवेदन में गलत बयान दिया गया था और उन्होंने गलत शपत-पत्र दायर किया था और इस तरह, अपील देर से दायर की गई थी और देरी को माफ करने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

35. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 06.06.2003 के आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस किया और दिनांक 16.06.2005 के अपने आदेश के माध्यम से अतिरिक्त आयुक्त, अजमेर और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिस पर अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निचले न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया और याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्परिवर्तन किए जाने की वैधता को भी नहीं देखा और यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या उत्परिवर्तन याचिकाकर्ता के पक्ष में खुले हैं या नहीं और उसके पूर्ववर्ती आदित: ही शून्य थे या नहीं।

36. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने पाया कि यदि कोई आदेश शुरू से ही अमान्य है

तो परिसीमा के मुद्दे का कोई मतलब नहीं है और तदनुसार, उन्होंने जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और मामले को न केवल सीमा के मुद्दे पर विचार करने के लिए बल्कि वर्ष 1967, 1968 और 1984 में किए गए म्यूटेशन की वैधता पर विचार करने के लिए वापस भेज दिया और उन्हें एक नया आदेश पारित करना था। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 16.06.2005 के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर करके राजस्व बोर्ड के समक्ष चुनौती दी गई थी।

37. इस न्यायालय ने पाया कि राजस्व बोर्ड ने मुद्दों को तय करने से पहले एक निष्कर्ष दर्ज किया कि विवादित भूमि 1992 में दीपा के दो बेटों घासी और धन्ना और नाथू के पुत्र रत्ना के नाम पर दर्ज की गई थी और प्रथम दृष्टया यह पाया गया था कि विवादित भूमि 'मीणा' समुदाय की थी और पहली बिक्री विलेख पूरी तरह से घासी द्वारा वर्ष 1962 में राम प्रसाद के पुत्र भागीरथ के पक्ष में किया गया था। अग्रवाल, जो एक गैर-अनुसूचित जनजाति व्यक्ति थे और उस आधार पर शुरू में म्यूटेशन को खारिज कर दिया गया था क्योंकि बिक्री को 1955 के अधिनियम की धारा 42 (ख) का उल्लंघन कहा गया था। राजस्व बोर्ड ने इन तथ्यों को दर्ज करने के बाद उन्हें कानूनी मुद्दा बताकर छह मुद्दे तैयार किए और फिर उसी पर निर्णय किया।

38. इस न्यायालय ने पाया कि मुद्दों पर निर्णय लेते समय राजस्व बोर्ड ने घोषणा, निषेधाज्ञा और कब्जे के मूल वाद पर निर्णय लेने जैसी अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। इस न्यायालय ने आगे पाया कि राजस्व बोर्ड ने न केवल जिला कलेक्टर और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया, बल्कि दिनांक 25.11.1967 के म्यूटेशन नंबर 325 को भी रद्द कर दिया और आगे उन व्यक्तियों को कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया, जिनके नाम पर 06.02.1962 को पहली बिक्री विलेख निष्पादित होने से पहले विवादित भूमि मौजूद थी क्योंकि पहली बिक्री को शून्य माना गया था और इस प्रकार बाद के म्यूटेशन नंबर 344 दिनांकित थे। दिनांक 29-11-1984 की दिनांक 25-05-1968 और दिनांक 338 को भी स्वतः रद्द कर दिया गया है।

39. इस न्यायालय ने पाया कि राजस्व बोर्ड मुख्य रूप से यह देखने के लिए उत्सुक था कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश कानूनी था या नहीं। राजस्व बोर्ड को इस बात पर विचार करना था कि क्या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का मामले को वापस

जिला कलेक्टर के पास भेजना उचित था ताकि म्यूटेशन किए जाने को चुनौती देने वाली देर से अपील दायर करने के संबंध में सीमा के मुद्दे पर निर्णय किया जा सके।

40. इस न्यायालय ने पाया कि राजस्व बोर्ड अतिरिक्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों को गंभीर अवैधता और क्षेत्राधिकार त्रुटि से पीड़ित बताते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में कब्जा बहाल करने का निर्देश नहीं दे सकता था और आगे यह घोषणा करके म्यूटेशन को रद्द नहीं कर सकता था कि भूमि उन व्यक्तियों के पक्ष में बहाल हो जाएगी जिनके नाम पर वर्ष 1962 में निष्पादित किए गए विक्रय विलेख से पूर्व भूमि पहले दर्ज की गई थी।

41. इस न्यायालय ने पाया कि पुनरीक्षण याचिका को निषेधाज्ञा, घोषणा और कब्जे का मूल वाद मानकर राजस्व बोर्ड द्वारा शक्ति का अतिक्रमण किया जा रहा है और ऐसी किसी व्यापक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था और यह 1956 के अधिनियम की धारा 84 के तहत प्रदत्त शक्ति से परे है।

42. इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील में दम नजर आता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर मुकदमे को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर मुकदमा दायर नहीं करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था। इस न्यायालय ने पाया कि जिला कलेक्टर ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया था क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 को उन सभी बिक्री-विलेखों की पूरी जानकारी थी जिन्हें वर्ष 1980 में ही निष्पादित किया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 2 की आपत्ति खारिज होने के बाद भूमि का हिस्सा परिवर्तित किया गया था।

43. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की इस दलील में दम पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा स्वयं एक गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण का आरोप लगाते हुए संदर्भ आवेदन दायर किया गया था और देरी की माफी के लिए जो स्पष्टीकरण दिया गया था, उसे जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया था।

44. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलील में भी दम पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिकार को 1955 के अधिनियम की धारा 63 (1) (iv) में निहित

प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दिया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कब्जा वसूलने का अधिकार खो दिया था क्योंकि इसे सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।

45. प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता की यह दलील कि वर्ष 1962 में पंजीकृत बिक्री-विलेख के निष्पादन के समय प्रत्यर्थी संख्या 2 नाबालिग था, इस न्यायालय द्वारा यह कहने के लिए पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने किसी भी समय बिक्री-विलेख को चुनौती नहीं दी थी और केवल उत्परिवर्तन कार्यवाही को उसके द्वारा देर से चुनौती दी गई थी।

46. प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता की यह दलील कि एक समय राजस्व रिकॉर्ड ने संवत वर्ष 2020 अर्थात वर्ष 1963 में प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम को प्रतिबिंबित किया था और चूंकि बाद में म्यूटेशन का प्रकटीकरण कानून की नजर में नहीं था, इसलिए यह न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कभी भी रद्द करने की कोई घोषणा नहीं की थी, न ही उसने पंजीकृत बिक्री विलेख या उसने अपने कब्जे का दावा किया है या भूमि के खातेदार/शीर्षक धारक के रूप में घोषित किए जाने का निर्देश दिया है।

47. प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता की यह दलील कि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से हिचकेगा, इस न्यायालय को राजस्व बोर्ड द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों पर विचार करने के बाद उन सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए पूरे अधिकार क्षेत्र को ग्रहण करने के बाद जो प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा शुरू की गई मूल कार्यवाही में नहीं उठाए गए थे, 1956 के अधिनियम की धारा 84 के तहत राजस्व बोर्ड में प्रदान नहीं की गई शक्ति को हड़पकर राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की अपनी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

48. इस न्यायालय ने आगे पाया कि गलत म्यूटेशन खोलने का आधार, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आरोप लगाया गया है, अधिनियम, 1955 की धारा 42 (ख) के कथित उल्लंघन पर आधारित था। इस न्यायालय ने पाया कि राजस्व बोर्ड ने अजमेर जिले के मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के संबंध में जारी अधिसूचना को पूरी तरह से गलत पढ़ा है और प्रत्यर्थियों की स्वीकारोक्ति के अनुसार और यह मुद्दा, जो इस न्यायालय और उस पूरे आधार के समक्ष नहीं रखा जा रहा है जिस पर प्रत्यर्थी

संख्या 2 द्वारा मामला बनाया गया था, टिका नहीं रह सकता है और उसके द्वारा किसी अन्य अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है।

49. इस न्यायालय ने पाया कि राजस्व बोर्ड ने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में त्रुटि की है और गलत तरीके से निर्देश दिए हैं। इस न्यायालय ने आगे पाया कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने यह विचार नहीं करते हुए इस मामले को वापस भेजने में भी अवैधता की है, कि अपील दायर करने में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा मांगी गई देरी की माफी पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित थी और इसके अलावा अतिरिक्त डिवीजनल कमिश्नर यह मानते हुए म्यूटेशन को शून्य नहीं मान सकते थे, कि इस तरह के लेनदेन पर सीमा का कोई कानून लागू नहीं होता है।

50. तदनुसार, तत्काल रिट याचिकाएं सफल होती हैं और राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 10.05.2013 को पारित आदेश और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 16.06.2005 को पारित आदेश को भी रद्द किया जाता है और निरस्त किया जाता है। कोई खर्चे नहीं दिए गए।

(अशोक कुमार गौड), न्यायमूर्ति

Solanki DS, PS

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।